



DPR Haryana

@DiprHaryana



हरियाणा में नये राशन डिपो का लाइसेंस लेने के लिए 8 अगस्त, 2024 तक आवेदन किया जा सकता है। प्रदेश में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा द्वारा पीडीएस कंट्रोल आर्डर 2022 के तहत नये राशन डिपो के लाइसेंस जारी किये जाने हैं।

[#Haryana](#) [#DIPRHaryana](#)

[Translate post](#)

10:19 AM · 25 Jul 24 · 4 Views



DPR Haryana @DiprHaryana · 51s



Replying to @DiprHaryana

इच्छुक व्यक्ति अन्त्योदय सरल पोर्टल को माध्यम से नए डिपो के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। संबंधित वार्ड या गांव का कोई भी आवेदक जिसकी आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक है तथा वह कम से कम 12वीं पास है और उसे कंप्यूटर का ज्ञान है, वह आवेदन कर सकता है।



|| 2

